R.B.E. NO. 139/2012

Government of India/भारत सरकार
Ministry of Railways/रेल मंत्रालय
(Railway Board/रेलवे बोर्ड)

Rail Bhawan, New Delhi-110001, dated 7/12/2012

No. E(G) 91/AL6-1

The Director General,
Railway Staff College,
VADODARA

The Directors,
Indian Railway Institute of Civil Engineering, Pune.
Indian Railway Institute of Electrical Engineering, Nasik Road.
Indian Railway Institute of Mechanical Engineering, Jamalpur.
Indian Railway Institute of Signal & Telecommunications, Secunderabad.
Indian Railway Institute for Advanced Maintenance Technology, Gwalior.
Indian Railway Institute of Transport Management, Lucknow.

Sub:- Messing facilities in the Centralised Training Institutes on the Railways – Clarifications to General Guidelines.

Ref: i) IRIEEN's letter No.NK/HS/FH/IRIEEN/01 dated 8.4.09.
ii) RSC/Vadodara's letter No.RSC/CAT/Policy dated 12.5.09.

General guidelines regarding messing facilities in the Centralised Training Institutes on the Railways have been issued vide Board's letter of even number dated 16.08.2005. This was followed by general clarification issued vide Board's letters of even number dated 18.04.2006, 13.12.2006 and 4.8.2009.

A doubt has been raised in some quarters regarding the term 'T.A' used in Board's letter of even number dated 16.08.2005 and clarification dated 04.08.2009 w.r.t. the point raised by IRIEEN at item No. I(ii) thereof.

It is clarified that the term 'T.A' as used in the aforesaid instructions may be read as 'DA'.

This issues with the concurrence of the Finance Dte. of the Ministry of Railways.

(S.Pal)
Joint Director Estt. (Genl.)

..2..

आरबीई सं. 139/2012

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.ई (जी)/91/एएल 6-1 नई दिल्ली, 7-12.2012

महानिदेशक,
रेलवे स्टाफ कॉलेज,
वडोदरा.

निदेशक,
भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे.
भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक रोड.
भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर.
भारतीय रेल सिगनल एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद.
भारतीय रेल अग्रिम अनुरक्षण प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर.
भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ.

विषय: रेलों पर केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में मेस की सुविधाओं के बारे में सामान्य दिशा-निर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण.

संदर्भ: (i) इरीन का 8.4.09 का पत्र सं.एनके/एचएस/एफएच/इरीन/01
(ii) रेलवे स्टाफ कॉलेज/वडोदरा का 12.5.09 का पत्र सं.आरएससी/सीएटी/पॉलिसी.

बोर्ड के दिनांक 16.08.2005 के समसंख्यक पत्र के तहत रेलों पर केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में मेस की सुविधाओं के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद बोर्ड के 18.04.2006, 13.12.2006 और 04.08.2009 के समसंख्यक पत्रों के तहत सामान्य स्पष्टीकरण जारी किए गए थे।

बोर्ड के दिनांक 16.08.2005 के समसंख्यक पत्र में प्रयुक्त किए गए शब्द 'टी.ए.' और इसकी मद संख्या I (ii) पर इरीन द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में दिनांक 04.08.2009 के स्पष्टीकरण के बारे में कुछ वर्गों में शंका व्यक्त की गई है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अनुदेशों में प्रयुक्त किए गए शब्द 'टी.ए.' को 'डीए' के रूप में पढ़ा जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

सुभाशीष पाल
(एस. पाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (सामान्य)

E G 2012 Satvin